# दिनांक- 23.02.2022 को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में सम्पन्न "जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार की न्यास परिषद की बैठक की कार्यवाही :-

**उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।**

दिनांक-**23.02.2022** को उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार की अध्यक्षता में **"जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार** की न्यास परिषद की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी, लातेहार द्वारा गत बैठक में अनुमोदित योजनाओं की अद्यतन स्थिति से बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया। तत्पश्चात बैठक के एजेंडा के अनुसार चर्चा प्रारम्भ हुई, जिसमें **"जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट" लातेहार** की न्यास परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए।

1. कल्याण विभाग द्वारा संचालित लातेहार जिले के विभिन्न 9 विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य के घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी -सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, द्वारा बताया गया कि इन विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी तथा विभागीय सचिव द्वारा विद्यालयों एवं छात्रावासों को डी0एम0एफ0टी0 मद से मरम्मति हेतु निदेश दिया गया था। अतः कार्य की महत्ता को देखते हुए कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न 9 विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य डी0एम0एफ0टी0 मद से कराने हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया गया है, जिसका कार्य प्रगति पर है। बैठक में सर्वसम्मति से सभी सदस्यों द्वारा उक्त विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य को समीक्षोपरांत घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

2. लातेहार जिले के खनन प्रभावित प्रखण्ड- बालूमाथ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बारीखाप में PSA Plant के अधिष्ठापन के संबंध में चर्चा हुई। सिविल सर्जन-सह-सदस्य, डी0एम0एफ0टी0 के प्रतिनिधि के द्वारा विगत प्रबंधकीय समिति में बताया गया कि PSA Plant अधिष्ठापन का सिविल कार्य अंतिम चरण में है, साथ ही PSA Plant के परिचालन के लिए जेनरेटर एवं ट्रांसफ्रामर की अधियाचना की गई हैं। कार्य की महत्ता को देखते हुए PSA Plant अधिष्ठापन हेतु Site Preparation एवं सिविल कार्य का स्वीकृत्यादेश निर्गत कर दिया गया है। PSA Plant के लिए जेनरेटर एवं ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कर दिया हैं। बैठक में सर्वसम्मति से उक्त कार्यो का घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

3. बैठक में विभिन्न प्रखण्डों में पेडिस्टेरियन ब्रीज के अधिष्ठापन के संबंध में चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 के द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के विभिन्न ग्राम सभा से पेडिस्टेरियन ब्रीज अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैठक में जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पेडिस्टेरियन ब्रीज की आवश्यकता पर बल दिया गया एवं यह भी चर्चा हुई कि पेडिस्टेरियन ब्रीज के अधिष्ठापन से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। पर्यटक स्थलो पर पेडिस्टेरियन ब्रीज से पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से समीक्षोपरांत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

4. बैठक में आकांक्षी जिला अन्तर्गत क्रय की गई टाटा विंगर एम्बुलेंश के भुगतान के संबंध में चर्चा हुई, बैठक में बताया गया की वर्तमान में उक्त मद में आवंटन उपलब्ध नही था फलतः क्रय की गयी एम्बुलेंश की विपत्र का भुगतान डी0एम0एफ0टी0 मद से कर दिया गया हैं। जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ करने के लिए एम्बुलेंश की आवश्यकता को देखते हुए सर्वसम्मति से डी0एम0एफ0टी0 मद से इसके भुगतान का घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

5. लातेहार जिले के विभिन्न खनन प्रभावित प्रखण्डों के ग्रामो से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार विर्मश हुआ। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यो द्वारा बताया गया कि विभिन्न खनन प्रभावित प्रखण्डों से पथ निर्माण, कलभर्ट, पुलिया, चेकडैम/तालाब निर्माण/ जिर्णोद्धार, चहार दिवारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आँगनबाड़ी, ग्रामीण बाजार शेड, सोलर युक्त सिंचाई इत्यादि प्रक्षेत्रों में प्रस्ताव प्राप्त हुए है। बैठक में प्रखण्डवार एवं प्रक्षेत्रवार ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में चर्चा के दौरान प्राप्त प्रस्तावों को खनन प्रभावित क्षेत्र के आधारभूत संरचना एवं सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवश्यक बताया गया, परन्तु वन

प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार ने प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से योजनाओं को पूर्ण करने पर बल दिया। योजना की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत हैः-

| क्र0 | योजना का प्रकार | योजना की संख्या | नामित एजेन्सी का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सड़क निर्माण/ मरम्मति | 485 | कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार। |
| 2 | चेकडैम/ तालाब | 111 | कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार। |
| 3 | पुल-पुलिया/ गार्डवाल/ कलभर्ट | 347 | कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0, का0प्र0/ एन0आर0ई0पी0, लातेहार। |
| 4 | शिक्षा से संबंधित | 53 | जिला शिक्षा पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार। |
| 5 | सोलर अधारित लिफ्ट एरिगेशन/ पम्प | 280 | जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार। |
| 6 | आंगनबाड़ी केन्द्र को मॉडल करने हेतु | 36 | जिला समाज कल्याण पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता, भ0प्र0, लातेहार। |
| 7 | स्वास्थ्य उपकेन्द्र निर्माण | 01 | कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, लातेहार। |

बैठक में समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से ग्राम सभा से प्राप्त उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित करते हुए कालम 04 में अंकित विभाग/कार्यालय को कार्यकारी एजेन्सी नामित किया गया। **(अनुलग्नक – 'क')**

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

6. लातेहार जिला के विभिन्न प्रखण्डों में संचालित आवासीय विद्यालयों यथा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए स्लीपींग बैग, कम्बल एवं बर्तन उपलब्ध कराने के लिए घटनोत्तर अनुमोदन हेतु बैठक में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यो द्वारा बताया गया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए स्लीपींग बैग, कम्बल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया, क्योकि आवासीय विद्यालयों में स्लीपींग बैग, कम्बल एवं बर्तन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हैं। पूर्व से उपलब्ध सभी बर्तन उपयोग में लाने योग्य नही है अतएव विद्यालय प्रबंधन को खाने का वर्तन, कम्बल एवं स्लीपींग बैग उपलब्ध कराया गया है। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से समीक्षोपरांत उक्त प्रस्ताव को घटनोत्तर अनुमोदित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार)**

7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा के द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण जनता से प्राप्त आवेदन पत्र, ग्राम सभा का अनुमोदन की कार्यवाही एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति प्रदत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः-

| क्र0 | प्रखण्ड | पंचायत | कार्य की विवरणी | प्राक्कलित राशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | चन्दवा | बारी | ग्राम-बारी सालवर में टिभना भुईयां के घर के पास छोटा पुलिया निर्माण। | 289000.00 | – |
| 2 | चन्दवा | बारी | ग्राम-बारी में बैरी पेड़ के पास चबुतरा निर्माण। | 298300.00 | – |
| 3 | चन्दवा | बारी | ग्राम-बारी में पोखरा भीड़ के नीच गार्डवाल निर्माण। | 295000.00 | – |

उपरोक्त कार्यो की अनुमोदन प्रदान करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

8. लातेहार जिला के बालुमाथ प्रखंड में संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने पर विचार विर्मश हुआ। बैठक में यह चर्चा हुई कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के उपरान्त् वर्तमान में राज्य सरकार के निदेशानुसार सभी विद्यालय खुल गए है अतएव विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए बेंच-डेस्क अति आवश्यक है। समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से आवश्यकतानुसार खनन प्रभावित प्रखण्ड बालूमाथ के सभी प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को बेंच-डेस्क उपलब्ध कराने का अनुमोदन प्रदान करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार)**

9. बालूमाथ प्रखण्ड के भैसादोन के बरखागड्डा में आर0ई0ओ0 के क्षतिग्रस्त पथ, गार्डवाल एवं कलभर्ट निर्माण/मरम्मति संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया कि आर0ई0ओ0 का यह पथ काफी जर्जर

हालत में है एवं यहाँ पर आए दिन दुर्घटना होते रहती है, फलतः पथ में मरम्मति कार्य कराया जाना अति आवश्यक है, जिसका प्राक्कलन **मो0-21,20,800/- (एक्कीस लाख बीस हजार आठ सौ) रू0** प्राप्त है। बैठक में समीक्षोपरांत उक्त सड़क के प्राक्कलन की विशिष्टियों के अनुसार मरम्मति, गार्डवाल एवं कलभर्ट निर्माण को सर्वसम्मति से अनुमोदित करते हुए कार्यपालक अभियंता NREP, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

10. लातेहार जिले के खनन प्रभावित प्रखण्डों के युवक-युवतियों के कौशल विकास में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने संबंधी ग्राम सभा के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। उपस्थित सदस्यो के द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला में खनन क्षेत्र में कई परियोजनाएँ चल रही है एवं भविष्य में कई अन्य खनन परियोजनाएँ प्रारम्भ होने वाली है जहाँ पर कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी प्रशिक्षित श्रमिकों का घोर अभाव है अतएव यहां के युवक-युवतियों को माईनिंग सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। इस दिशा में माईनिंग सेक्टर स्कील काउसिंल (SCMS), नई दिल्ली को प्रशिक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार के अधीन संस्था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), एवं राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCVET), ने माईनिंग सेक्टर स्कील काउंसिल को माईनिंग सेक्टर में शीर्ष संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की है। बैठक में समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से खनन प्रभावित क्षेत्र के युवक-युवतियों के लिए माइनिंग क्षेत्र के प्रथम चरण में 150 युवक-युवतियों को ग्राम सभा से अनुमोदित सूची के आधार पर नियमानुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

11. खनन प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सोलर आधारित सिंचाई पम्प एवं HYDT के अधिष्ठापन का घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यो के द्वारा बताया गया कि लातेहार जिला की बड़ी आबादी कृषि कार्य पर आश्रित है परन्तु सिंचाई की समुचित व्यवस्था नही होने के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अभाव में अन्यत्र पलायन करना पड़ता है वर्तमान में यहाँ के किसान अनाज एवं सब्जियों के उत्पादन से आत्मनिर्भर हो रहे है। किसानों को उचित सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करा देने से उनकी आय में वृद्धि होगी एवं पलायन भी कम होगा। किसानों को समूह के माध्यम से आवश्यकतानुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यकतानुसार सोलर आधारित सिंचाई पम्प एवं HYDT का अधिष्ठापन जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार के माध्यम से किया जा रहा है। बैठक में समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को घटनोतर अनुमोदन प्रदान किया गया।

**(अनुपालन :- जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार)**

12. बैठक में सभी PSA Plant, ICU एवं PICU में संविदा/ दैनिक मजदूरी पर तकनीकी कर्मियों को अनुबंध पर सेवा प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 द्वारा बताया गया कि जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर करने के उदेश्य से PSA Plant, ICU एवं PICU को अधिष्ठापित किया गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से आवश्यकतानुसार ICU, PICU एवं PSA Plant के लिए तकनीकी कर्मियों को अनुबंध पर सेवा प्रदात्ता के माध्यम से सेवा प्राप्त करने हेतु अनुमोदित करते हुए सिविल सर्जन, लातेहार को निदेशित किया गया।

**(अनुपालन :- सिविल सर्जन, लातेहार)**

13. बैठक में वैश्विक महामारी कोविड-19 के रोक-थाम हेतु कोविड टीकाकरण कार्य में लगे हुए सभी स्वास्थ्य विभाग के टीम (यथा- 1 ए.एन.एम. एवं 1 सत्यापनकर्त्ता) को 5000-5000 रूपये अर्थात एक टीम को 10,000/- (दस हजार) रूपये डी0एम0एफ0टी0 मद से प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु अनुमोदन के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने टीकाकरण कार्य में योगदान दे रहे स्वास्थ्य विभाग के टीम के कार्यो की सराहना की एवं नियमित रूप से सफलतापूर्वक टीकाकरण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कराने हेतु उक्त प्रोत्साहन राशि के भुगतान को आवश्यक बताया गया। समीक्षोपरान्त् सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**(अनुपालन :- सिविल सर्जन, लातेहार)**

14. बैठक में लातेहार जिले के विभिन्न प्रखंडों में लैम्पस निर्माण हेतु प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, चर्चा के दौरान सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष लातेहार जिले में धान की अच्छी पैदावार हुई है। वर्तमान में उपलब्ध गोदाम एवं लैम्पस, धान के संधारण

हेतु प्रर्याप्त नहीं है, इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। समीक्षोपरान्त् सर्वसम्मति से सभी प्रखण्डो में आवश्यक क्षमता का लैम्पस निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कृषि पदाधिकारी, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी नामित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

16. बैठक में लातेहार जिले के विभिन्न प्रखण्डो के आवासीय विद्यालय यथा कस्तुरबा गाँधी एवं कल्याण विभाग के द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय तथा झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी/ ज्ञानवर्द्धन हेतु पुस्तक उपलब्ध कराने पर विचार विमर्श किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0 द्वारा बताया गया कि आवासीय विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओ से संबंधित पुस्तक उपलब्ध करा देने से बच्चों का शैक्षणिक क्षमतावर्धन होगा एवं भविष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने में आसानी होगी। इससे स्कुलों के साथ-साथ जिले का भी नाम रोशन होगा। समीक्षोपरान्त् सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार)**

17. बैठक में लातेहार जिले के विभिन्न खनन प्रभावित प्रखण्ड यथा- लातेहार, चन्दवा, बालूमाथ, बारियातु एवं मनिका में संचालित विद्यालयों में व्हाइट बोर्ड उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 द्वारा बताया गया कि लातेहार जिले के उक्त प्रखंडों के स्कुलों में ब्लैक बोर्ड से पठन-पाठन की व्यवस्था है जिससे छात्रों को कठिनाई होती है। वर्तमान समय में व्हाइट बोर्ड के प्रयोग से छात्रों को काफी सुगमता होगी। समीक्षोपरान्त् सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया।

**(अनुपालन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार)**

18. बैठक में लातेहार जिला के विभिन्न प्रखण्डों के ग्राम सभा से प्राप्त विभिन्न स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पर चर्चा की गई। उप विकास आयुक्त-सह-सदस्य सचिव, डी0एम0एफ0टी0 द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखंडों के ग्राम सभा से लगभग 5000 अदद सोलर लाईट अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से उपयुक्त चिन्हित जगहों पर गुणवतायुक्त सोलर लाईट पूर्व से चयनित एजेन्सी वाणी इन्टरप्राईजेज, राँची से अधिष्ठापित कराने हेतु अनुमोदन प्रदान करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी मनोनित किया गया। **(अनुलग्नक - 'ख')**

**(अनुपालन :- जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार)**

19. बैठक में सिविल सर्जन-सह-सदस्य, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वैश्विक महामारी कोविड- 19 के प्रसार, रोक-थाम, बेहतर इलाज हेतु विभिन्न दवा एवं उपचार सामग्री डी0एम0एफ0टी0 मद से क्रय कर उपलब्ध कराया गया। इस संबंध में भुगतान हेतु सचिव खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखंड, रांची द्वारा दिनांक- 20.04.2021 को ई-मेल के माध्यम से उक्त कार्य के लिए डी0एम0एफ0टी0 मद से भुगतान अनुमान्य किया गया है। अतएव सर्वसम्मति से बैठक में इस प्रस्ताव को घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। **(अनुलग्नक - 'ग')**

20. बैठक में बताया गया कि टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त विभिन्न तीन सड़क निर्माण के प्रस्ताव प्राक्कलन सहित अपर समहर्त्ता, लातेहार द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है जिसपर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार को कार्यकारी एजेन्सी नामित कर कार्य कराया जा रहा है, जिसकी विवरणी निम्नवत है:-

| क0 | प्रखण्ड | पंचायत | ग्राम | योजना का नाम | पथ की लम्बाई | प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | लातेहार | भुसूर | कुमांड़ | कृष्णा टाना भगत के घर से ठाकर बाड़ी की तरफ पी0सी0सी0 पथ निर्माण। | 185 मी0 | 979600.00 |
| 02 | लातेहार | नेवाड़ी | कैमा | बहादुर टाना भगत के घर से सधवीर टाना भगत के घर की तरफ पी0सी0सी0 पथ निर्माण। | 210 मी0 | 993800.00 |
| 03 | चंदवा | चकला | नगर | ईमली पेड़ से शंकर टाना भगत के घर की तरफ पी0सी0सी0 पथ निर्माण। | 280 मी0 | 992200.00 |

समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त प्रस्ताव को घटनोत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

20. माननीय विधायक, लातेहार विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा बतलाया गया कि लातेहार जिला मुख्यालय में स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए Open GYM का अधिष्ठापन कराया जाना आवश्यक है, ताकि यहाँ के नागरिकों द्वारा प्रातः भ्रमण के क्रम में आवश्यक व्यायाम किया जा सके।

सदन द्वारा सर्व सम्मति से उपयुक्त स्थल का चयन कर Open GYM अधिष्ठापन कराने का निर्णय लिया गया है।

**(अनुपालन :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लातेहार)**

21. जिला वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा 2022-23 का कार्य योजना तैयार कर कार्य कराने का प्रस्ताव रखा गया एवं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि भविष्य में बिना प्रबंधकीय समिति एवं न्यास परिषद की स्वीकृति के कोई कार्य नही कराया जाए, ताकि घटनोत्तर स्वीकृति का आवश्यकता न पड़े। (कोविड-19 को छोड़कर)

बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 मद से विभिन्न एजेन्सीयों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं को गुणवतायुक्त ससमय पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया साथ ही बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि डी0एम0एफ0टी0 मद से जिले के सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में बॉडी मास इन्डेक्स मशीन तथा ग्रोथ मोनिटरिंग डिवाईस उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

***अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।***

Sd/-
**उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,**
**डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।**

**ज्ञापांक :-** 331 **/डी0आर0डी0ए0, लातेहार दिनांकः-** 09-03-2022

प्रतिलिपि :- सभी सदस्यो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अचंल अधिकारी, लातेहार जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, डी0एम0एफ0टी0, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**उपायुक्त-सह-अध्यक्ष,**
**डी0एम0एफ0टी0, लातेहार।**